न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर (द्वि.) जयपुर

फर्द अहकाम

सुरेशचन्द बनाम ओमप्रकाश

71/24 रिवेन्यू

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
20/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व० फ० अनुपस्थित। पत्रावली पूर्वआदेशानुसार उचित आदेश हेतु दिनांक 7/2/2025 को पेश हो।	
22/1/2025	आज यह पत्रावली वादी सुरेश चन्द द्वारा जरिये अधिवक्ता शीघ्र सुनवाई प्रार्थना-पत्र पेश करने पर नियत तारीख से पहले पेश हुई। वादी व वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हमारे द्वारा फुर्सीजात पर आपत्ति एवं जिला कलक्टर जयपुर महोदय के यहाँ मुन्तकिल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूँकि उभयपक्षकारान के मध्य समझाईश से स्वेच्छापूर्वक राजीनामा हो चुका है अतः फुर्सीजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जावे। तथा वादी/सुरेश चन्द शर्मा द्वारा हस्तगत प्रकरण के बाबत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र वादी के द्वारा स्वयं निस्तारित/विड्रा करवा लिया जावेगा। अतः शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि स्वयं वादी/ मुन्तकिल ... मुन्तकिल के प्रार्थना पत्र को विड्रा/निस्तारित कर लिये जाने हेतु निवेदन किया है तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता रामप्रसाद कुमावत उपस्थित हैं उन्होंने सहमति व्यक्त की (तथा) अतः न्यायहित में प्रार्थना-पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार	सुरेशचन्द शर्मा 22/1/25 [signature] 22/1/25 प्रतिवादीगण ... [signature] 22/1/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (आर) जयपुर

फर्द अहकाम

सुरेशचन्द बनाम ओमचन्द

नाम न्यायालय

केस संख्या 71/24 धा91

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		किया जाता है। तथा वादी सुरेश चन्द शर्मा की पहचान उनके अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा द्वारा की गई। हस्ताक्षर करवाये गये। [illegible] उप पुत्र को कुरेजात पर कोई आपत्ति नहीं है अतः न्यायहित में तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anju Varma Date: 2025.01.29 11:44:48 IST Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या — 71/2024
बउनवानी — सुरेश बनाम अमरचंद वगै0
निर्णय दिनांक :—22.01.2025

न्यायालय :— सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 71/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 22.08.2024

सुरेशचन्द पुत्र श्री गोविन्दनारायण जाति बागडा ब्रहम्ण निवासी प्लोट नंबर 2, बागडा भवन, भुवनेश्वरी वाटिका, वैशाली मार्ग, मीनावाला तहसील व जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र कानाराम, जाति बागडा निवासी प्लोट नंबर 1, बागडा भवन, भुवनेश्वरी वाटिका, वैशाली मार्ग, मीनावाला तहसील व जिला जयपुर।
2. नन्दा पुत्र गणेश
3. मोहनलाल पुत्र मुरलीधर
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र मंगलचन्द
5. रामपाल पुत्र मंगलचन्द
6. रामरतन पुत्र मंगलचन्द
7. रामपाल पुत्र जगदीश प्रसाद
8. लालचन्द पुत्र मुरलीधर
9. सत्यनारायण पुत्र मंगलचन्द
समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम किशनपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
10. सरजू प्रजापत पत्नि रामप्रकाश प्रजापत जाति कुम्हार निवासी मकान नंबर बी—14 प्रेमनगर कॉलोनी, झोटवाडा जयपुर
11. गीता प्रजापत पत्नी सूरज प्रजापत निवासी मकान नंबर बी—14, प्रेमनगर कॉलोनी, झोटवाडा जयपुर
12. सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत — 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955

दिनांक 22.01.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वाके ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का खोराबीसल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला डाबडी जिला जयपुर में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व्यक्तिगत खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 80 खसरा नंबर 104 रकबा 2.54 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 8.89 रुपये वाकै ग्राम जिसे वादपत्र में आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज अपने—अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर मनबंट से विभाजन कर कदीम से काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है । वादी का उक्त वादग्रस्त भूमि में 315284/2828925 हिस्सा निहित है एवं वादी वादग्रस्त भूमि के बिल्कुल मध्य वाले हिस्से पर काबिज है तथा शेष प्रतिवादीगण का राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

रिकार्ड में पृथक–पृथक हिस्सा दर्ज है जिसके अनुसार ही समस्त पक्षकारान् काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है । प्रतिवादी संख्या 7 एक भू–माफिया प्रवृति का बेहद चालाक एवं लडाकू प्रवृति का व्यक्ति है जो आये दिन वादी को उसके हक हिस्से की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने एवं जबरन कब्जा कर किसी प्रोपर्टी डीलर को बेचान करने की धमकी देता रहता है तथा दिनांक 16–08–2024 को वह और उसके साथ कई दलाल एवं गुण्डे प्रवृति के व्यक्ति वादी के हक – हिस्से की भूमि पर आये और आते ही भूमि की नाप चौक करने लगे तथा रोड बनाने हेतु निर्माण सामग्री डालने लगे जिसे देखकर वादी ने रोका तो वादी को धमकाने लगे कि अब तुम चुपचाप इस भूमि का कब्जा हमे सौंप दो तब वादी ने कहा कि अभी तक वादग्रस्त आराजीयात् का विधिवत विभाजन नहीं हुआ बिना विधिवत विभाजन कराये आप किसी भी प्रकार का निर्माण कानूनन नहीं करवा सकते तब मिन प्रतिवादी ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि अब तो वह बिना तकासमा करवाये ही वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण पर अपनी मनमर्जी से कॉलोनी विकसित करवायेगा, जिससे वादकारण उत्पन्न होने से दावा तकासभा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ । वादी के मौके पर कब्जे अनुसार एवं सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में वर्णित हक – हिस्से अनुसार तथा मीटस् एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन किया जाकर खाता व लगान कायम किये जावें एवं राजस्व रिकार्ड में इसी कदर अमल फरमाया जावें

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश नहीं कर सीधे ही प्राथमिक डिक्री करने हेतू निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 28.10.2024 को वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला डाबडी ज़िला जयपुर के खाता संख्या 80 खसरा नंबर 104 रकबा 2.54 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/कुर्रेजात् रिपोर्ट/2024/5.12.2024 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये।

वादी द्वारा ने जरिये अधिवक्ता आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01. 2025 को प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि पर न तो मौके पर गये और ना ही राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना की गई।

प्रकरण मे स्वयं वादी सुरेशचन्द्र शर्मा ने प्रार्थना पत्र बाबत वाद कुर्रेजात के अनुसार डिक्री जारी करने हेतू पेश किया तथा जाहिर किया की उभयपक्ष के मध्य समझाईश हो जाने के कारण कुर्रेजात रिपोर्ट पर अब कोई आपत्ति नहीं है। तथा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को निस्तारित करवा लिया जावेगा।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना की गई है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. मोहन लाल पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/3, लालचन्द पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/3, राजेन्द्र कुमार पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/12, रामपाल पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/12, रामरतन पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/12, सत्यनारायण पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/12 समस्त जाति ब्रहम्ण राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोराबीसल सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 104/1 रकबा 0.0303 हैक्टेयर रहेगा।
2. गीता प्रजापत पत्नी सूरज प्रजापत हिस्सा 1/2, सरजू प्रजापत पत्नी रामप्रकाश प्रजापत हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) म. न. बी–14 कॉलोनी प्रेमनगर, झोटवाडा, जयपुर के हिस्से में खसरा नम्बर 104/2 रकबा 0.3632 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. सुरेशचन्द पुत्र गोविन्दनारायण हिस्सा सम्पूर्ण जाति ब्रहाम्ण निवासी कनकपुरा तहसील जयपुर के हिस्से में 104/3 रकबा 0.2831 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. अमरचन्द पुत्र कानाराम हिस्सा जाति ब्रहम्ण सा. मीनावाल खातेदार के हिस्से मे खसरा नम्बर 104/4 रकबा 0.5406 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. रामलाल पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा सम्पूर्ण जाति बाह्मण सा.देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा सरनाडूंगर के हिस्से में खसरा नम्बर 104/5 रकबा 0.3376 हैक्टेयर भमि रहेगी।
6. नन्दा पुत्र गणेश हिस्से सम्पूर्ण जाति ब्रहम्ण सा. [illegible] पीएनबी शाखा सरनाडूंगर के हिस्से में 104/6 रकबा 0.9852 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अंजु वर्मा
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 71/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 22.08.2024

सुरेशचन्द पुत्र श्री गोविन्दनारायण जाति बागडा ब्रहम्ण निवासी प्लोट नंबर 2, बागडा भवन, भुवनेश्वरी वाटिका, वैशाली मार्ग, मीनावाला तहसील व जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र कानाराम, जाति बागडा निवासी प्लोट नंबर 1, बागडा भवन, भुवनेश्वरी वाटिका, वैशाली मार्ग, मीनावाला तहसील व जिला जयपुर।
2. नन्दा पुत्र गणेश
3. मोहनलाल पुत्र मुरलीधर
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र मंगलचन्द
5. रामपाल पुत्र मंगलचन्द
6. रामरतन पुत्र मंगलचन्द
7. रामपाल पुत्र जगदीश प्रसाद
8. लालचन्द पुत्र मुरलीधर
9. सत्यनारायण पुत्र मंगलचन्द
   समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम किशनपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
10. सरजू प्रजापत पत्नि रामप्रकाश प्रजापत जाति कुम्हार निवासी मकान नंबर बी–14 प्रेमनगर कॉलोनी, झोटवाडा जयपुर
11. गीता प्रजापत पत्नी सूरज प्रजापत निवासी मकान नंबर बी–14, प्रेमनगर कॉलोनी, झोटवाडा जयपुर
12. सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त [illegible] रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. मोहन लाल पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/3, [illegible] मुरलीधर हिस्सा 1/3, राजेन्द्र कुमार पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/12, रामपाल पुत्र [illegible]लचन्द हिस्सा 1/12, रामरतन पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/12, सत्यनारायण पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/12 समस्त जाति ब्रहम्ण राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोराबीसल सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 104/1 रकबा 0.0303 हैक्टेयर रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 71/2024
वउनवानी – सुरेश बनाम अमरचंद वगै0
निर्णय दिनांक :–22.01.2025

2. गीता प्रजापत पत्नी सूरज प्रजापत हिस्सा 1/2, सरजू प्रजापत पत्नी रामप्रकाश प्रजापत हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) म. न. बी–14 कॉलोनी प्रेमनगर, झोटवाडा, जयपुर के हिस्से में खसरा नम्बर 104/2 रकबा 0.3632 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

3. सुरेशचन्द पुत्र गोविन्दनारायण हिस्सा सम्पूर्ण जाति ब्रहाम्ण निवासी कनकपुरा तहसील जयपुर के हिस्से में 104/3 रकबा 0.2831 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. अमरचन्द पुत्र कानाराम हिस्सा जाति ब्रहम्ण सा. मीनावाल खातेदार के हिस्से मे खसरा नम्बर 104/4 रकबा 0.5406 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. रामलाल पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा सम्पूर्ण जाति बाह्मण सा.देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा सरनाडूंगर के हिस्से में खसरा नम्बर 104/5 रकबा 0.3376 हैक्टेयर भमि रहेगी।

6. नन्दा पुत्र गणेश हिस्से सम्पूर्ण जाति ब्रहम्ण सा. देह राहिन पीएनबी शाखा सरनाडूंगर के हिस्से में 104/6 रकबा 0.9852 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 22.01.2025 को जारी किया।

दस्तखत----
ओहदा----

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमि[illegible]		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		इनरा[illegible] बबत् इजराय हुक्म[illegible]	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested